राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .2428/2016.....जिला.....बीकानेर.....

मैसर्स एम्को लिमिटेड, शास्त्रीनगर, बीकानेर बनाम सीटीओ, वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, बीकानेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.03.2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एम.एल.पाटौदी एवं सुश्री ईश्यू जैन तथा विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2015 वित्तीय वर्ष 2013–14, अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23(1) सपठित धारा 24(3) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 55,56,890/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4)/83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। इसी व्यवहारी की अपील संख्या 320/2015/बीकानेर में माननीय खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 10.03.2015 में प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक स्थगित रखी है। अतः इस प्रकरण में भी उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक विवादित मांग राशि रूपये 55,56,890/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना की। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.10.2015 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। माननीय कर बोर्ड द्वारा इसी व्यवहारी के प्रकरण संख्या 320/2015 निर्णय दिनांक 10.03.2015 को मध्यनजर रखते हुए एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में विवादित राशि रूपये 55,56,890/– की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्तो का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। **(मदन लाल मालवीय)** **सदस्य** **(मदन लाल)** **सदस्य**	